हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा
ग्यारहवां सत्र
समाचार भाग-1
संख्या : 102
मंगलवार, 24 मार्च, 2026/3 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या : 3750 (स्थगित), 3762 (स्थगित) तथा 4024 से 4031 तक के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4024 तथा 4025 के संदर्भ में सम्बन्धित माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं सप्लीमैंट करते हुए विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 4032 से 4060 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1598 से 1608 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

1. **डॉ0 जनक राज, माननीय सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में बिजली की समस्या से माननीय सदन को अवगत करवाया तथा अपने चुनाव क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में विद्युत विभाग की कार्यशैली पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने विद्युत विभाग में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने का आग्रह करते हुए कहा कि जब तक उन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती तब तक उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम बिजली पहुंचाई जाए।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय ने इस विषय का संज्ञान लिया है और विषय को सम्बन्धित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा तथा की गई कार्रवाई से माननीय सदन व सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

2. **श्री लोकेन्दर कुमार, माननीय सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र के रघुपुरगढ़ जोकि एक पर्यटन व धार्मिक स्थल है के लिए इको-टूरिज्म हेतु स्थाई नीति बनाए जाने पर विचार करने का आग्रह किया ताकि स्थानीय युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके। सरकार वहां पर इको-टूरिज्म जरूर चलाए ताकि वे लोग वहां से विस्थापित न हों, इस बात का सरकार ध्यान रखे।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य के विषय का विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है और सम्बन्धित विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उनसे आवश्यक कार्रवाई हेतु भी लिखा जाएगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदन व सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

3. **श्री नीरज नैय्यर, माननीय सदस्य** ने वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रदेश भर में दिसम्बर, 2025 से मनरेगा पोर्टल बन्द हो जाने के कारण लोगों में उत्पन्न बेरोज़गारी तथा कार्यों को सम्पन्न करने में आ रही बाधाओं बारे माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए पोर्टल को खोलने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजने का आग्रह किया।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि मनरेगा का पोर्टल केन्द्र सरकार द्वारा लॉक किया गया है। यह पोर्टल नए वित्तीय वर्ष में खुलेगा और 90:10 के अनुपात वाले कार्यों को पूरा करने के लिए 2 माह का समय दिया गया है क्योंकि Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin (VB-G-RAM-G) योजना आ गई है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। जो पुराने कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए केवल दो महीने का समय दिया गया है इसलिए यह लॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है।

4. **श्री हरदीप सिंह बावा माननीय सदस्य** ने प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर हिमाचल प्रदेश के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों जैसे कि मैक्स, फोर्टिज़ इत्यादि द्वारा अचानक ओ0पी0डी0 के चार्जिज लगभग दोगुने बढ़ाने का मुद्दा सदन में उठाते हुए प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह इन अस्पतालों के साथ विचार-विमर्श करके इन रेटस को कम करने का प्रयत्न करे।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रूप से एक गंभीर विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है जिस पर विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। हम विभाग को निर्देश देंगे कि इस विषय पर कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से आपको और मान्य सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

5. **श्री विनोद कुमार, माननीय सदस्य** ने अपने नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र के गोहर उपमण्डल में पिछले दो माह से फैले पीलिया रोग से दो लोगों की मृत्यु तथा सैंकड़ों लोगों के इस बीमारी से ग्रस्त होने का विषय उठाते हुए सरकार से इस विषय में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि लोगों को इस बीमारी से राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर बहुत ही गम्भीर विषय माननीय सदस्य ने सदन के ध्यान में लाया है और विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। इस विषय को सम्बन्धित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा और की गई कार्रवाई से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। माननीय सदन यह चाहेगा कि विभाग द्वारा इस विषय के ऊपर जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. **श्री इन्द्र सिंह गांधी, माननीय सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में सुकेती खड्ड के साथ नगर परिषद वार्ड नं0.-9, जोकि डडौर से जुड़ा है और नेरचौक में आता है, जिसे कबाड़ मार्किट बोला जाता है, वहां पर बरसात व बी0बी0एम0बी0 में सिल्ट की वजह से हो रहे सॉयल इरोजन का विषय माननीय सदन में उठाया तथा वहां रहने वाले लोगों के लिए सड़क के किनारे प्रोटेक्शन वॉल या कोई अन्य समाधान निकालने का अनुरोध किया ताकि सड़क और वहां रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा मिल सके।

Hon'ble Speaker said that again a very important issue has been brought to the notice of this Hon'ble House. We will certainly ask the concerned department to take action in this behalf, and whatever action is to be taken by the department in this behalf, the Hon'ble Member will be informed accordingly, as well as the House also.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मान्य सदन में श्री हरदीप बावा की धर्मपत्नी तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज व अन्य तीन-चार शिक्षण संस्थानों के छात्र आज विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आए हैं, उन सभी का स्वागत है।

2. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, -की धारा 200127 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-की प्रति 25 सभा पटल पररखी।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम) की उपधारा 15 की धारा 19681) और (4के अन्तर्गत (हिमाचल प्रदेशस्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तथा लेखा कथन रिपोर्ट, वर्ष 2024- की प्रति सभा पटल पर 25रखी।

4. **सदन की समितियों के प्रतिवेदनः**

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2025-26)** ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का (चौदहवीं विधान सभा) **127वां कार्रवाई प्रतिवेदन** में (चौदहवीं विधान सभा) **179वें मूल प्रतिवेदन** जोकि समिति के अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा**लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का (चौदहवीं विधान सभा) **128वां कार्रवाई प्रतिवेदन** में (चौदहवीं विधान सभा) **60वें मूल प्रतिवेदन** जोकि समिति के अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा**मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का (चौदहवीं विधान सभा) **129वां कार्रवाई प्रतिवेदन** में (चौदहवीं विधान सभा) **61वें मूल प्रतिवेदन** जोकि समिति के अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा**मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2025-26) ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **30वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **12वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) पर बने **22वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति (वर्ष 2025-26)** ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **15वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(2) समिति का **16वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चाः-

निम्नलिखित ने चर्चा में आगे भाग लिया :-

(1) श्री भुवनेश्वर गौड़, सदस्य

(12.29 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न माननीय सभापति पदासीन हुए।)

(2) श्री रणधीर शर्मा, सदस्य

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

निम्नलिखित ने चर्चा में आगे भाग लिया :-

(3) श्री संजय अवस्थी, सदस्य

(02.27 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

(4) श्री प्रकाश राणा, सदस्य

माननीय लोक निर्माण और कृषि मंत्री ने क्रमशः भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि व MPLAD स्कीम की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण दिया।

(5) श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य
(6) श्री विनोद कुमार, सदस्य

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश के लिए 6400 करोड़ रुपये के वायदे के विरुद्ध सिर्फ 5100 करोड़ रुपये प्राप्त होने के कारणों का जिक्र करते हुए मान्य सदन को अवगत करवाया कि पिछली सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में जाते हुए लिखकर दे दिया था कि जल जीवन मिशन कम्प्लीट हो गया है जिसकी वजह से उसमें पैसा नहीं आ रहा है।

(7) श्री विवेक शर्मा (विक्कू), सदस्य
(8) डॉ0 जनक राज, सदस्य
(9) श्री सुरेश कुमार, सदस्य

(4.51 बजे अपराह्न श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

(10) श्री सुखराम चौधरी, सदस्य

(5.13 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

माननीय शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, माजरा जहां स्पोर्टस हॉस्टल भी है, के बारे में तथा माननीय सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में उठाए गए कुछेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया तथा यह भी बताया कि 16 कोचों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

(11) श्री हरदीप सिंह बावा, सदस्य
(12) डॉ0 हंस राज, सदस्य

(5.54 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

(13) श्री अजय सोलंकी, सदस्य

(14) श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य

(6.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक 7.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

माननीय शिक्षा मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा सेब के संबंध में उठाए गए मुद्दे, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और एम0आई0एस0 के तहत मिलने वाले समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि 2024 के बाद एम0आई0एस0 में समर्थन मूल्य देने की पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार पर आ गई है।

(15) श्री सुदर्शन सिंह बबलू, सदस्य

(16) श्री आशीष शर्मा, सदस्य

(07.12 बजे अपराह्न श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा मेडिकल कॉलेज के संबंध में उठाए गए विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के सुचारु रूप से न चल पाने का मुख्य कारण फैकल्टी की कमी है। अब इसमें पी0जी की 270 सीटें क्रियेट की जा रही हैं ताकि फैकल्टी सही ढंग से चल सके। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में त्वरित गति से काम कर रही है। इनमें एक वर्ष के भीतर सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। जहां हाई एंड टैक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। जोल सप्पड़ सड़क के लिए भी एन0एच0ए0आई0 से विषय उठाकर समुचित धनराशि का प्रावधान करवाया जाएगा।

(17) श्री नीरज नैय्यर, सदस्य

(7.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक 8.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

(18) श्रीमती रीना कश्यप, सदस्य

7.58 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****